न्यायालय उप,खण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर

अपील स0 05/17

पूरन पुत्र कुनकुनिया जाति जाटव निवासी सींदपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर
अपीलार्थी

बनाम

1–ग्राम पंचायत नगला तैरईया तहसील रूपवास जिला भरतपुर तामील जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नगला तैरईया
2–सचिव महोदय, ग्राम पचायत नगला तैरईयॉ तहसील रूपवास जिला भरतपुर
मूल रेस्पोडेन्ट
3–भागसिह पुत्र श्यामा जाति जाटव निवासी इर्रवराहना तहसील बयाना जिला भरतपुर
4–मनोहरी पुत्र नत्थी जाति जाटव निवासी नयावास तहसील बयाना जिला भरतपुर
तरतीवी रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 2809 ग्राम पना तहसील रूपवास बावत आराजी खसरा न0 1357/4–05 बीघा बाके ग्राम पना तहसील रूपवास तारीख 09–04–2012 ग्राम.पंचायत नगला तेरहिया तह.रूपवास

पीठासीन अधिकारी :– श्री पी.आर. मीना आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी रूपवास

उपस्थित
1– श्री फूल सिह धाकड़ अभिभाषक अपीलार्थी
2–श्री रामवीरसिह अभिभाषक तरतीवी रेस्पो0 स0 4 व 5

निर्णय दिनांक 15/2/18

सक्षेपतः अपील के तथ्य निम्न प्रकार है। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा न0 1357 रकवा 4–05 बीघा बाके ग्राम पना तहसील रूपवास को मुझ अपीलार्थी, पूरन व तरतीवी रेस्पो0 भागसिह , मनोहरी तथा एक अन्य व्यक्ति रामसिह पुत्र जबाली जाति धोबी निवासी पीगोंरा तहसील नदवई जिला भरतपुर में बहिस्सा बरावर यानि प्रत्येक केता ने 1/4,1/4,1/4, 1/4, हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र दिनांक 9–01–2012पॉच लाख रूप्ये में खरीद किया है । पटवारी हल्का ने उक्त नामान्तरकरण स0 2809 मुताबिक बिक्रयपत्र मुझ अपीलार्थी व तरतीवी रेस्पो0 व अन्य व्यक्ति रामसिह पुत्र जबाली के हक में दिनांक 18–1–12 को सही दर्ज किया है । ग्राम पचायत नगला तैरईया ने मुझ अपीलार्थी व तरतीवी रेस्पो0 को बिना कोई नोटिस दिये तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना वएक व्यक्ति रामसिह पुत्रजवाली के हक में अपने उक्त निर्णय जेर अपील तारीख 9.4.2012 के जरिये स्वीकृत कर दिया ,ख कि जिससे

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

व्यथित होकर मुझ अपीलार्थी के द्वारा यह अपील न्यायालय श्रीमान में निम्न लिखित आधार पर पेश की जा रही है। जो कि नकल दाखिल खारिज दिनांक 30.5.17 को मिलने पर व सर्व प्रथम जानकारी होने पर अन्दर म्याद पेश की जा रही है। कि उक्त नामान्तरकरणकी अपील स0 2809 तारीख फैसला 9.4.2012 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो प्रकरण की परिस्थितियो तथा विधि प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है जो कि निरस्त होने योग्य है। यह अपील प्रथम तयः पेश की जा रही है। अपील की ख ण्ड स0 1 में उल्लेखित वादग्रस्त आराजी 1357 रकवा 4–05 बीघाको मुझ अपीलार्थी तथा तरतीवी रेस्पौ0 व उक्त व्यक्ति रामसिह पुत्रजबाली के द्वारा बहिस्सा बराबर दिनांक 09–01–12 को जरिये रजस्टर्ड बिक्रयपत्र जिसके रिकार्डेड खातेदारान नथोली, देवीसिह व धनीराम पुत्रान ग्यासी जाति कोली निवासी नगला बीजा तहसील रूपवास से खरीद किया है व इसी प्रकार मौके पर उक्त बिकेताग्रण से वाकई कब्जा प्राप्त किया है। उक्त आराजी मुतनाजा उक्त अन्य व्यक्ति रामसिह पुत्र जवाली ने न्यारानूर उक्त रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र के जरिये खरदी नही किया है बल्वि मुझ अपीलार्थी व तरतीवी रेस्पो0व उक्त व्यक्ति रामसिह पुत्र जबाली ने बहिस्सा बराबर खरीद किया है तथा ग्राम पचायत को उक्त दाखिल खारिज अपील के खाने स09 में अकिंत चारो व्यक्तियो के नाम स्वीकृत करना चाहिये था ग्राम पचायत तहत ने भारी कानूनी भूल की है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है इस नामान्तरण के आयन्दा कायम रहने से मुझ अपीलार्थी व तरतीवी रेस्पो0 के हकूक खातेदारी काश्तकारी पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पडता है । अतः अपीलार्थी अपील करने का अधिकारी है। दिनांक 30–5–17 को प्रार्थी ने उक्त नामान्तरकरण जेर अपील की नगल प्राप्त की तब ग्राम पंचायत द्वारा किये गये उक्त एक पक्षीय निर्णय व गैरकानूनी निर्ण की सर्व प्रर्थम जानकाकरी हुई है। अतः अपील अन्दर म्याद पेश है। उक्त व्यक्ति रामसिह पुत्र जबाली का लावल्द विला औरत देहान्त हो गया है कि जिसके वारिसान का कोई अता पता नहीं है इसयिले उक्त रामासिह को अस अपील में पक्षकार नही बनाया जा सका है। तरतीवी रेस्पो0 का भी इस अपील में मुझ अपीलार्थी के समान हित निहित है। लेकिन वह वहैसियत अपीलार्थी इस अपील में श ।ामिल नही हो सके है इसलिये उन्हें तरतीवी रेस्पो0 बनाया गया है।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरकरण सं02809 तारीख फैसला 9–4–2012 ग्राम पंचायत नगला तैरईया तहसील रूपवास निरस्त किया जाकर मुताबिक रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र 9–1–2012 मुताबिक खाना स0 9 उक्त नामान्तरकरण हम चारो केतागण के नाम बहिस्सा बराबर स्वीकृत फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पो0 स0 1व2 की तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । तरतीवी रेस्पो0 3 व 4 ने उपस्थित होकर इकबाल जबाब दावा पेशया है जो सामिल पत्रावली है। अपील के तथ्य स्वीकार किये है ।

योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया बिक्रय पत्र दिनांक 9.1.2012 के मुताबिक नामान्तरकरण स0 2809 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

9.4.2012 के खाना स0 9 का अवलोकन किया । मुताबिक नामान्तरण स0 2809 के अनुसार प्रार्थी की अपील आशिंक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी की अपील आशिंक स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण स0 2809 दिनांक 9.4.2012 वाके ग्राम नगला तैरईया खारिज किया जाता है तहसीलदार रूपवास को इस आशय से रिमाण्ड की जाती है। नियमानुसार गुणान गुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/2/18
(पी0आर0मीना)
उपखण्ड अधिकारी
रूपवास